रमेश

बनाम

करन सिंह और एक अन्य ।

(सिविल अपील संख्या 6365/2022)

/

16 सितंबर, 2022

[न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति कृष्णा मुरारी]

मोटर वाहन अधिनियम 1988:धारा.166-स्थायी विकलांगता-अपीलकर्ता-दावेदार, एक नौसेना व्यापारी था और 1000 अमेरिकी डॉलर कमाता था-उसे एक वाहन दुर्घटना में कई चोटें आईं, जिसके कारण कोहनी के नीचे दाहिने ऊपरी अंग का विच्छेदन हो गया और उसे लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान पांच ऑपरेशन से गुजरना पड़ा-प्रतिकर के लिए 5 लाख रुपये का दावा। एम. ए. सी. टी. के समक्ष किए गए विभिन्न शीर्षों के तहत 1,02,00,000/- -न्यायाधिकरण ने कुल रु. 6,68,000-मात्र प्रतिकर दिया -प्रतिकर में वृद्धि के लिए अपील-उच्च न्यायालय ने प्रतिकर को बढ़ाकर रुपये 14,82,000/- कर दिया। यह देखते हुए कि हालांकि दावेदार का कोहनी के नीचे का दाहिना हाथ काट दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 70 प्रतिशत दाहिने हाथ की अक्षमता हो गई थी, फिर भी वह कुछ कमा सकता था और मर्चेंट नेवी सामान्यतः एक वर्ष में छह महीने की नौकरी होती है-इसलिए वर्तमान अपील- अभिनिर्धारित :उच्च न्यायालय ने कहा कि दावेदार अभी भी कुछ कमा सकता है-हालांकि, दावेदार मर्चेंट नेवी अंतर्गत कोई काम नहीं कर पाएगा-उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि मर्चेंट नेवी अंतर्गत , नौकरी आमतौर पर एक वर्ष अंतर्गत छह महीने के लिए होती है-उक्त अवलोकन बिल्कुल बिना किसी आधार के है-उत्तरदाताओं की ओर से कोई सबूत नहीं दिया गया था-यह नहीं कहा जा सकता है कि दावेदार शेष छह महीनों के लिए कुछ नहीं करेगा-उच्च न्यायालय ने भी आय अंतर्गत भविष्य अंतर्गत वृद्धि पर विचार नहीं किया है-परिस्थितियों और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों अंतर्गत , उच्च न्यायालय को कम से कम रु। 30, 000/- प्रति माह-उच्च न्यायालय ने रु। 25, 000/- केवल दर्द, सदमे और पीड़ा के लिए-हालाँकि, दावेदार की कोहनी के नीचे का दाहिना हाथ काट दिया गया था-लंबे समय तक अस्पताल

अंतर्गत भर्ती रहने के दौरान, उसका पाँच बार ऑपरेशन किया गया था-पाँच ऑपरेशन, लंबे समय तक अस्पताल अंतर्गत भर्ती होने और पीड़ा को ध्यान अंतर्गत रखते हुए, रु। 25, 000/- दर्द, सदमा और पीड़ा के शीर्ष के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को निचले पक्ष अंतर्गत कहा जा सकता है-तथ्यों अंतर्गत

/

/

/

/

/

/

110 ए.

111

रमेश बनाम करन सिंह और ए. एन. आर.

तथ्यों और मामले की परस्थितियों में, रु.4,00,000-दर्द, सदमे और पीड़ा के लिए दिया गया।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए**,** न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **:1.** आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा**,** उच्च न्यायालय ने भविष्य के आर्थिक हानि का अधिनिर्णय देते हुए आय के नुकसान को रु**. 18, 000/-** प्रति माह माना। हालाँकि**,** अपीलार्थी मर्चेंट नेवी में कार्यरत था और संबंधित समय में उसका वेतन **1000** अमरीकी डॉलर था।कोहनी के नीचे उनका दाहिना हाथ काट दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप दाहिने हाथ की अक्षमता **70** प्रतिशत हो गई थी।उच्च न्यायालय का मत है कि दावाकर्ता अभी भी कुछ कमा सकता है।हालाँकि**,** दावाकर्ता मर्चेंट नेवी में कोई काम नहीं कर पाएगा।उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि मर्चेंट नेवी में आमतौर पर नौकरी वर्ष में छह महीने के लिए होती है।उक्त अवलोकन का कोई आधार नहीं है।उपरोक्त पर उत्तरदाताओं की ओर से कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।यह नहीं कहा जा सकता है कि दावेदार शेष छह महीने तक कुछ नहीं करेगा।उच्च न्यायालय ने भविष्य में आय वृद्धि पर भी विचार नहीं किया है।मामले की परिस्थितियों और तथ्यों और परिस्थितियों में**,** उच्च न्यायालय को आय के नुकसान को ध्यान में रखते हुए भविष्य के आर्थिक नुकसान को कम से कम रु**. 30, 000/-** प्रति माह करना चाहिए था।इसलिए**,** कुल नुकसान रु**. 57,60,000-(30000x12x16)**।**[**पैरा **5] [113-**डी**-**एफ**]**

/

/

/

/

2. उच्च न्यायालय नेदर्द**,** सदमे और पीड़ा के लिए रुपये **25, 000/-** मात्र का अधिनिर्णय दिया ।हालाँकि**,** यह ध्यान रखना आवश्यक है कि दावेदार की दाहिना हाथ की कोहनी के नीचे का भाग काट दिया गया था।लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उनका पांच बार ऑपरेशन किया गया।गंभीर चोटों को देखते हुए**,** दावेदार को रोहतक के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में और उसके बाद जयपुर गोल्डन अस्पताल**,** नई दिल्ली में स्थानांतरित करने की आवश्यकता हुई**,** जहाँ उसे **03.01.1997** से **21.01.1997** तक भर्ती रखा गया था। इसलिए**,** पांच ऑपरेशनों**,** लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती होने और पीड़ा को देखते हुए**,** हमारी राय है कि उच्च न्यायालय द्वारा दर्द**,** आघात और पीड़ा के लिए रु**. 25, 000/-** के अधिनिर्णय को निचले पक्ष**/**क्रम का कहा जा सकता है।ऊपर वर्णित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में**,** दावेदार दर्द**,** सदमे और पीड़ा के लिए कम से कम **4,00,000** रुपये का अधिकारी होगा।उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को तदनुसार संशोधित किया जाना है।**[**पैरा **5.1] [113-**जी**-**एच**; 114-**ए**-**बी**]**

/

/

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता सिविल अपीलीय अधिकारिता : सिविल अपील संख्या 6365/2022।

एफ. ए. ओ. No.83/2002 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेशों दिनांकित 16.07.2019 से।आदित्य वशिष्ठ, सुश्री नीलम सिंह, अधिवक्तागण। अपीलार्थी के लिए।सुश्री साक्षी मित्तल, प्रत्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, न्या .

1. इसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 का नाम हटाने के लिए आवेदन की अनुज्ञात अपीलार्थी के जोखिम और जिम्मेदारी पर दी गई है।

/

2. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ द्वारा एफ. ए. ओ. सं. 83/2002 में पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने इसमें अपीलार्थी-पीड़ित-दावेदार द्वारा की गई उक्त अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है और प्रतिकर की राशि को बढ़ाकर 14,82,000/-मात्र रुपये कर दिया है जिससे व्यथित और असंतुष्ट होकर मूल दावेदार ने वर्तमान अपील दायर की है।3. 02.01.1997 पर हुई एक वाहन दुर्घटना में, अपीलार्थी-मूल दावेदार को कई चोटें आईं।दाहिने हाथ की कोहनी के नीचे अग्र-भुजा का 1/3 भाग विच्छेदन किया गया था।लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान, घायल-दावेदार को पाँच ऑपरेशन से गुजरना पड़ा।दुर्घटना के समय, अपीलार्थी को मर्चेंट नेवी में वेतन के रूप में 1000 अमरीकी डॉलर मिल रहे थे, जहाँ वह बेल्जियम में कार्यरत था, जिसमें निशुल्क भोजन, आवास और निशुल्क हवाई टिकट शामिल नहीं था।अपीलार्थी ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (संक्षेप में "न्यायाधिकरण") का दरवाजा खटखटाया और विभिन्न शीर्षों के तहत मुआवजे के लिए रु.1,02,00,000/- का दावा किया। ।न्यायाधिकरण ने विभिन्न शीर्षों के तहत जिसमें दवा, उपचार, विशेष आहार, दर्द, सदमा और पीड़ा और भविष्य में आय का नुकसान शामिल है, अधिनिर्णय दिया।भविष्य में होने वाले आर्थिक नुकसान का निर्णय देते समय, न्यायाधिकरण ने घायल की आय निर्धारित की और इस पर विचार किया कि घायल की आय रुपये 3, 500/- प्रति माह अधिनिर्णीत की।दावेदार द्वारा दायर अपील में, आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रतिकर राशि को एक लाख रुपये 6,68,000-से रु. 14,82,000/- बढ़ा दिया है।भविष्य में होने वाले आर्थिक नुकसान का फैसला देते समय, उच्च न्यायालय ने हालांकि घायलों की आय पर विचार किया है। 36, 000/- प्रति माह मर्चेंट नेवी, बेल्जियम में, लेकिन वास्तव में आय ए के नुकसान पर विचार किया है

/

/

/

/

/

इस आधार पर कि मर्चेंट नेवी में नौकरी आमतौर पर एक वर्ष में छह महीने के लिए होती है और चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार, चोटों के परिणामस्वरूप 70 प्रतिशत दाहिने हाथ की अक्षमता होती है।उच्च न्यायालय ने रुपये 25, 000/- दर्द और पीड़ा के लिए, रु. 10, 000/- विशेष आहार के लिए और रु.5,000/-। परिवहन के लिए अधिनिर्णीत किया है।इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है और कुल रु। 14,82,000-दावा याचिका दायर करने की तारीख से वसूली तक 7.5% प्रति वर्ष ब्याज के साथ मुआवजे के लिए।

/

3. 1 उच्च न्यायालय द्वारा मुआवजे के लिए केवल 14,82,000/- रुपये का निर्धारण और अधिनिर्णय पारित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट मूल दावेदार-आहत ने वर्तमान अपील दायर की है।

/

4. हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है।

5. आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने भविष्य के आर्थिक नुकसान का अधिनिर्णय देते हुए आय के नुकसान को रु.18, 000/- प्रति माह किया ।हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अपीलार्थी मर्चेंट नेवी में कार्यरत था और संबंधित समय में उसका वेतन 1000 अमरीकी डॉलर था।कोहनी के नीचे उनका दाहिना हाथ काट दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप दाहिने हाथ की अक्षमता 70 प्रतिशत हो गई थी।उच्च न्यायालय का मत है कि दावाकर्ता अभी भी कुछ कमा सकता है।हालाँकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि दावेदार मर्चेंट नेवी में कोई काम नहीं कर पाएगा।उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि मर्चेंट नेवी में आमतौर पर नौकरी वर्ष में छह महीने के लिए होती है।उक्त अवलोकन का कोई आधार नहीं है। उपरोक्त पर उत्तरदाताओं की ओर से कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।यह नहीं कहा जा सकता है कि दावेदार शेष छह महीने तक कुछ नहीं करेगा।उच्च न्यायालय ने भविष्य में आय वृद्धि पर भी विचार नहीं किया है।मामले की परिस्थितियों और तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय को आय के नुकसान को ध्यान में रखते हुए भविष्य के आर्थिक नुकसान को कम से कम रु. 30, 000/- प्रति माह करना चाहिए था।इसलिए, कुल नुकसान रु. 57,60,000-(30000x12x16)।

/

/

/

1. 1 उच्च न्यायालय ने दर्द, सदमे और पीड़ा के लिए मात्र रुपये 25, 000/- का फैसला सुनाया है।हालाँकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि दावेदार की दाहिना हाथ की कोहनी के नीचे का भाग काट दिया गया था।लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उनका पांच

बार ऑपरेशन किया गया।गंभीर चोटों को देखते हुए, दावेदार को रोहतक के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और उसके बाद जयपुर गोल्डन अस्पताल, नई दिल्ली में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी, जहाँ

/

/

114

/

[2022] 18 एस सी आर।

उन्हें 03.01.1997 से 21.01.1997 में भर्ती रखा गया था।इसलिए, पांच ऑपरेशनों, लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती होने और पीड़ा को देखते हुए, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय द्वारा दर्द, आघात और पीड़ा के लिए रु. 25, 000/- के अधिनिर्णय को निचले पक्ष/क्रम का कहा जा सकता है।ऊपर वर्णित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारी राय है कि दावेदार दर्द, सदमे और पीड़ा के लिए कम से कम रुपये 4,00,000- का हकदार होगा।उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को तदनुसार संशोधित किया जाना है।

/

6. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील आंशिक रूप से सफल होती है।उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को संशोधित किया गया है और यह आदेश दिया गया है कि इसमें अपीलकर्ता-घायल-दावेदार कुल रु। 62,35,000-दावा याचिका दायर करने की तारीख से प्राप्ति तक प्रति वर्ष 7.5% ब्याज के साथ।

/

7. वर्तमान अपील को उपरोक्त सीमा तक आंशिक रूप से अनुज्ञात गई है।मुआवजे की बढ़ी हुई राशि आज से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर प्रत्यर्थियों द्वारा विद्वत न्यायाधिकरण में जमा की जानी है और इस तरह की जमा राशि का भुगतान मूल दावेदार-अपीलार्थी को खाता प्राप्तकर्ता चेक द्वारा किया जाना है।व्यय सम्बन्धी कोई आदेश नहीं।

/

/

देविका गुजराल और अनुराग भास्कर

अपील की आंशिक रूप से अनुज्ञात है।

(सहायकः इराम जान, एलसीआरए)

/

/

/